दिनांक- 26.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 935/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ – थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा

एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने तथा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम ने आज दिनांक 26.10.2026 को न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा क्रिमिनल केस संख्या 2998/2021, धारा 323 भा.दं.वि., थाना अजनर, जनपद महोबा से संबंधित मामला माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उद्दू उर्फ उदयसिंह पुत्र किस्सू, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम घंघौरा, थाना अजनर, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

उद्दू उर्फ उदयसिंह पुत्र किस्सू, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम घंघौरा, थाना अजनर, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उपनिरीक्षक राधा मोहन त्रिवेदी
2. कांस्टेबल अनिल यादव



दिनांक- 26.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 936/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ – थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा मुकदमें के वांछित 02 अभियुक्तों व 01 विधि से संघर्षरत बालक को घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन सहित गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 26.10.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम के वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री कन्हैयालाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर लहचुरा मोड़ से मु0अ0सं0 131/2026 धारा 331(6)/140(3)/110/117(2)/115(2)/352/3(5) बीएनएस एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5), 3(2)(5क) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. केशकुमार राजपूत उर्फ किस्सू पुत्र मनीराम राजपूत उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम ब्यारजो, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा 2.उमेश राजपूत पुत्र हरदयाल राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम किल्हौवा, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा एवं 01 नफर विधि से संघर्षरत बालक को घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन संख्या UP 16 BJ 2586 सहित पुलिस हिरासत में लिया गया, बाद आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

बरामदगी विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद बोलेरो वाहन संख्या UP 16 BJ 2586।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

केशकुमार राजपूत उर्फ किस्सू पुत्र मनीराम राजपूत उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम ब्यारजो, थाना महोबकंठ, महोबा।
उमेश राजपूत पुत्र हरदयाल राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम किल्हौवा, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा।

अभियुक्त केशकुमार राजपूत उर्फ किस्सू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 139/2025 धारा 115(2)/352/331(4) बीएनएस एवं धारा 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5क) एससी/एसटी एक्ट।
2. मु0अ0सं0 209/2025 धारा 126(2)/115(2)/352/351(3)बीएनएस
3. मु0अ0सं0 143/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।
4. मु0अ0सं0 131/2026 धारा 331(6)/140(3)/110/117(2)/115(2)/352/3(5) बीएनएस एवं धारा 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5)/3(2)(5क) एससी/एसटी एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. वरिष्ठ उपनिरीक्षक कन्हैयालाल,
2. का0 साहब सिंह
3. का0 नितिन कुमार
4. म0का0 सीमा यादव

